न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 71/2024
प्रविष्टि दिनांक 24.10.2024

कैलाश पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला–टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 08.10.2024 मिसल नम्बर 407/2024

उपस्थिति : (1) श्री ताराचन्द सैनी,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक** 23.01.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 08.10.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 198/1 रकबा 0.2150 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर मकान,बाडा बनाकर एंव मूगंफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 20/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित ना होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने सविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा नही है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है। अपीलांट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 198/1 रकबा 0.2150 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती

जिला कलेक्टर
टोंक

अतिक्रमण कर मकान,बाडा बनाकर एंव मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है,जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की ओर से लालाराम की तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 198/1 रकबा 0.2150 है0किस्म चरागाह वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान,बाडा बनाकर एंव मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 390/2024 निर्णय दिनांक 09.02.2024 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 26.11.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। मैने उक्त वर्णित भूमि से पूर्व मे ही कब्जा हटा लिया था तथा वर्तमान मे मौके पर मेरा कोई कब्जा नही है और ना ही भविष्य मे उक्त आराजी पर मै कब्जा करूगा। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र पेश करने के उपरान्त तहसीलदार निवाई से कब्जे संबंधी रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार निवाई ने उनके पत्र क्रमांक 897 दिनांक 27.12.2024 से अगवत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 198/1 रकबा 0.2150 है. किस्म चरागाह मे वर्तमान मे मौके पर कोई अतिक्रमण नही पाया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार निवाई प्रकरण संख्या 407/2024 दिनांक 08.10.2024 मे अपीलांट अतिक्रमी के विरूद्व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा तक निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ सौम्या झा)
जिला कलेक्टर
टोंक